(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान अब तक राजस्थान में किसी भी विकास केन्द्र को केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई है। विकास केन्द्र के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा की गई वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाती है।

(घ) और (ङ) विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत जिला अजमेर को कोई विकास केन्द्र आवंटित नहीं किया गया है। पहले ही घोषित 71 विकास केन्द्रों के अतिरिक्त और अधिक केन्द्रों की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2387. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश में कुल कितने गांवों में कितने लोगों को ग्रामोद्योगों में लगाकर उत्पादन कराया जा रहा है;

(ख) ग्राम उद्योगों की संख्या तथा पंजीकृत संस्थाओं की कुल संख्या क्या है;

(ग) राजस्थान में कुल कितने गांवों में खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में उत्पादन हो रहा है व उनमें कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अजमेर जिले में कार्यरत ग्रामोद्योगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या राजस्थान में ग्रामोद्योगों के विस्तार से संबंधित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी तथा ग्रामोद्योग में संलग्न गाँवों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख है और खादी तथा ग्रामोद्योगों के लाभकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से कार्यरत व्यक्तियों की संख्या लगभग 56.50 लाख है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में 116 ग्रामोद्योग हैं। इनको मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है:—

1. खनिज आधारित उद्योग
2. वन आधारित उद्योग
3. कृषि तथा खाद्य आधारित उद्योग
4. पोलीमर तथा रसायन आधारित उद्योग
5. इंजीनियरिंग तथा अपरंपरागत ऊर्जा
6. वस्त्र (खादी से भिन्न)
7. सेवा उद्योग

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में सीधे पंजीकृत संस्थानों की संख्या 4869 है।

(ग) राजस्थान के 17000 गांवों में खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। अजमेर जिलें में 15 विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 4166 ग्रामोद्योग एकक कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम और खंड विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान में 4 जिलों और 7 खंडों का चयन किया है। इसने जिला विशेष रोजगार कार्यक्रमों की मानिटरिंग के लिए दौसा जिले में एक परियोजना कार्यालय भी खोल रखा है।

Foreign investment in Rajasthan

2388. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what is the target fixed by Government for foreign investment in the State of Rajasthan during the last five years under the new liberalised policy alongwith achievement;

(b) what is the target for the same for the coming five years; and

(c) what steps are being taken to achieve the target?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) A total number of 162 proposals in different sectors envisaging foreign direct investment amounting to Rs. 2246.28 crore in the State of Rajasthan, have been approved during Aug. '91 to Sept. '98.

(b) and (c) Inflows of foreign investment are contingent on various factors which, *inter-alia*, include domestic economic conditions, policy regime governing foreign investments world economic trends and the strategies of global investors. While no specific target is fixed for foreign investment, Government is making continuous efforts to provide an environment to attract inflows of foreign investment into the country. Some of the measures introduced to at-